बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011

अधिसूचना संख्या .....2388...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 25/7/11

चूँकि राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघातयोग्य/कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं की रोकथाम करना तथा आसान पहुँच सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, और चूँकि, समाज के समाज के आघातयोग्य वर्गों का राज्य के भौतिक संसाधनों पर वैधानिक स्वामित्व एवं नियंत्रण है। इसलिए बिहार के राज्यपाल भारत संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के अधीन निम्नलिखित नियमावली बनाते है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्ताव एवं आरंभ –

(1) यह नियमावली ''शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली 2011'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. परिभाषा

जब तक कि, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में

(i) ''अंचल अधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में पदाभिहित अधिकारी।

(ii) ''प्रखण्ड विकास पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के द्वारा इस रूप में पदाभिहित अधिकारी।

(iii) ''आपदा प्रबंधन विभाग'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग।

(iv) ''खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

(v) ''समाज कल्याण विभाग'' अभिप्रेत है बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग।

(vi) ''जिला दण्डाधिकारी'' से अभिप्रेत है जिला के जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता।

(vii) ''निधि'' से अभिप्रेत है इस योजना के अधीन गठित निधि,

(viii) "मुखिया" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में कार्यरत व्यक्ति,

(ix) "नियमावली" से अभिप्रेत है शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011,

(x) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(xi) "वार्ड पार्षद" से अभिप्रेत है किसी नगरीय वार्ड का पार्षद जैसा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अधीन परिभाषित है।

(xii) "कल्याणकारी योजनाएँ" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा बिहार राज्य में क्रियान्वयन के अधीन केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ,

(xiii) "योजना" से अभिप्रेत है शताब्दी अन्न कलश योजना।

2. इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही होंगे जो बिहार राज्य की आम भाषा में समझे जाते हैं।

3. निधि/कोष का गठन एवं प्रबंधन–(1) राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि के नाम एवं शैली से राज्य स्तर पर राज्य निधि नामक एवं सभी जिलों में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नामक नामक जिला निधि का गठन, इस योजना अधीन कमजोर/आघातयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों के भुगतान करने के प्रयाजनार्थ किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(3) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति राज्य निधि का प्रबंधन करेगी। हालाँकि समाज कल्याण विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव/प्रधान सचिव समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

(4) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार जिला निधि का प्रबंधन करेगा। हालाँकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

(5) बिहार सरकार प्रारंभिक निधि के रूप में रू0 10 करोड़ राज्य निधि को आवंटित करेगी तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के परामर्श से, वार्षिक आवंटन करेगी। इस

प्रकार से किये गये आवंटन, आपदा प्रबंधन विभाग के वार्षिक गैर–योजना बजट का भाग होगा।

(6) राज्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा निर्णीत मानदण्डों के अनुसार राज्य निधि से किश्तों में आवंटन जिलों को दिया जायेगा। यद्यपि कि अगली किश्त पूर्ववर्ती किश्त के 75 प्रतिशत व्यय होने के उपरान्त ही विमुक्त की जायेगी।

4. निधि का लेखा एवं अंकेक्षण – (1) इस निधि को संबंधित निधि के नाम से खोले गए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखा जाएगा तथा इससे मिलने वाली ब्याज भी इसी निधि का भाग होगी।

(2) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधारण क्रमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।

(3) इस निधि का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा तथा प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग को सौंपी जाएगी।

5. इस नियमावली अधीन मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत सदस्य एवं अन्य पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों के कर्त्तव्य – (1) ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों तथा नगर क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद का यह कर्त्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे गरीब, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आघातयोग्य वर्गों/परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता के बारे में सतर्क/चौकस रहें। वे उन आघातयोग्य परिवारों, जो संसाधन विहीन हों तथा जिनके पास आजीविका का कोई साधन न हो या जो, उनके नियंत्रण से परे हालातों के कारण, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम बना दिये गये हों, के लिए को खाद्यान्न की उपलब्धता पर विशेष चौकसी/सतर्कता रखेंगे।

(2) इस नियमावली में निर्देशित पंचायत स्तरीय कृत्यकारियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा कार्यकर्त्ता, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जन सेवक आदि शामिल होंगे।

(3) यथा स्थिति मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य या वार्ड पार्षद को चौकसी बरतने में अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के कृत्यकारियों से सहायता प्राप्त

करने का अधिकार होगा। उन्हें सिविल सोसाईटी संगठनों से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

(4) किसी अधातयोग्य/परिवार की भूखमरी की दशा की सूचना प्राप्त होते ही यथा स्थित, मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य या उपर्युक्त कृत्यकारी तत्परता से जाँच करेंगे तथा यथास्थिति मुखिया, वार्ड पाषर्द या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन सौपेंगे।

6. शताब्दी अन्न कलश योजना : (1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारी से परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में एक नामनिर्दिष्ट जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान में एक क्वींटल गेहूँ/चावल का चक्रीय स्टॉक संधारित करेगा। नगरीय क्षेत्र में जिला दण्डधिकारी ऐसे निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करेंगे जहाँ खाद्यान्नों का चक्रीय स्टॉक का भण्डारण किया जा सके।

(2) राज्य खाद्य निगम के गोदामों से चक्रीय स्टॉक के उठाव के लिए भुगतान संबंधित जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक द्वारा यिका जायेगा।

(3) भूखमरी की दशा का सामना कर रहे निर्धन, बूढ़े, शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य आद्यात योग्य समूहों/परिवारों को इस नियमावली में विर्निदिष्ट रीति से तथा मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न इस चक्रीय स्टॉक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) इस नियमावली के अधीन इस चक्रीय स्टॉक से निकाले गये खाद्यान्नों के लिए संबंधित जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला निधि से शीघ्रता से किया जायेगा।

(5) चक्रीय स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्नों के लिए जिस दर पर जन वितरण प्रणाली की दूकान को भुगतान किया जाएगा वह, समय–समय पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परामर्श से, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निश्चित की जायेगी।

(6) आघातयोग्य वर्गों का कोई व्यक्ति यदि भूखमरी की दशा का सामना करते हुए पाया जाता है तो यथास्थिति मुखिया, वार्ड पार्षद, तत्काल संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को चक्रीय स्टॉक से निम्नलिखित स्केल पर संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्नों की आपूर्त्ति तुरंत करने हेतु निर्देश देगा :

(i) 10 कि0ग्रा0 (दस किलोग्राम) एक व्यस्क को एक सप्ताह के लिए

(ii) 7 कि0ग्रा0 (सात किलोग्राम) एक अव्यस्क को एक सप्ताह के लिए

(7) यथास्थिति मुखिया या वार्ड पार्षद, के निर्देश पर संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान का मालिक शीघ्रता से खाद्यान्नों की आपूर्ति संबंधित व्यक्ति को करेगा। चक्रीय स्टॉक से उपयोग किये गये खाद्यान्न के अभिलेख का संधारण जन वितरण प्रणाली की दूकान के मालिक द्वारा किया जायेगा।

(8) संबंधित व्यक्ति को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के तुरंत पश्चात यथास्थिति, मुखिया या वार्ड पार्षद इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को देंगे।

(9) सूचना की प्राप्ति पर अथवा अन्यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, बिना किसी बिलंब के भूखमरी के कारण के संबंध में संयुक्त जाँच करेंगे तथा संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता एवं आजीविका के साधनों का आकलन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में यह संयुक्त जांच 3 (तीन) दिनों के भीतर संचालित कर ली जायेगी।

(10) यदि, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी में से कोई एक, यदि मुख्यालय में उपस्थित न हों, तो उपस्थापित पदाधिकारी बिना दूसरे के योगदान करने का इंतजार किये, इस जांच को संचालित करेगा।

(11) यदि जांच पड़ताल के उपरांत, पदाधिकारियों का समाधान हो जए कि संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आगे भी आपूर्ति की आवश्यकता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को संबंधित व्यक्ति को इस नियमावली में विहित स्केल पर अतिरिक्त 3 (तीन) सप्ताह के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु तुरंत निर्देश देगा। इस प्रकार, भूखमरी का सामना कर रहे व्यक्ति को उपर्युक्त रीति से एवं मात्रा में, शुरू में चार सप्ताह के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की जायेगी।

(12) उपर्युक्त संबंधित व्यक्तियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात् तुरंत संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा। अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिवेदन में पदाधिकारी, संबंधित व्यक्तियों को आजीविका उपलब्ध कराने/अन्य कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने और संबंधित व्यक्तियों को 4 (चार) सप्ताह के अतिरिक्त आगे खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का आकलन करेंगे।

(13) सभी ऐसे व्यक्तियों का एक अभिलेख, जिन्होंने चक्रीय स्टॉक से खाद्यान्न प्राप्त किया है, पंचायत, नगरीय वार्ड तथा प्रखण्ड स्तर पर क्रमशः मुखिया, वार्ड पार्षद एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संधारित किया जायेगा।

(14) पदाधिकारियों से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति को, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से, यदि वह पूर्व में आच्छादित न हो, आच्छादित किया जाय। यदि वह पूर्व से कल्याणकारी योजनाओं के अधीन आच्छादित हो तो जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन योजनाओं का लाभ बिना किसी असम्यक बिलंब के, संबंधित व्यक्ति को प्राप्त हो जाय। वे इस विषय में आगे की जांच के लिए और यह सुनिशचित करने के लिए कि संबंधित व्यक्ति की समुचित देखभाल हो रही है, अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित कर सकेंगे।

(15) यदि जिला पदाधिकारी का समाधान हो जाय कि संबंधित व्यक्ति की दशा ऐसी हो कि उसे एक माह से अधिक के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वे संबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान के मालिक को खाद्यान्न आपूर्ति करने का निर्देश देंगे।

परन्तु जिला पदाधिकारी संबंधित व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त होने, जैसा कि नियम 6 के उप नियम 14 में प्रावधानित किया गया है, के पश्चात खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर देंगे।

(16) यदि चक्रीय स्टॉक में खाद्यान्न खत्म हो गया हो तो जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी आपूर्ति हेतु बाजार से खाद्यान्नों का क्रय करने का आदेश दे सकेंगे। सभी ऐसे मामलों में ऐसे खाद्यान्नों के लिए भुगतान जिला निधि से भी किया जायेगा।

(17) सभी मुखिया, वार्ड पार्षद, ग्राम पंचायत के सदस्य तथा अन्य सरकारी कृत्यकारियों से, जिन्हें इस नियमावली के अधीन कोई कार्य सौपें गये हैं, अपेक्षा की जायेगी कि वे तत्परता के साथ तथा बिना असम्यक् विलंब के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यदि वे जानबूझ कर समनुदेशित कर्त्तव्यों के निर्वहन में असफल होते हैं तो यह कदाचार के तुल्य होगा तथा संसंगत अधिनियमों एवं आचरण नियमावली के अधीन उनसे कड़ाई से निपटा जायेगा।

7. अनुश्रवण तंत्र तथा नोडल प्राधिकार : (1) इस योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण पंचायत स्तर पर मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य, नगरीय वार्ड स्तर पर वार्ड पार्षद, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिलापदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) राज्य स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी नोडल प्राधिकार होंगे तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग नोडल प्राधिकार होगा।

8. पारदर्शिता : (1) इस योजना के क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी। यदि यह पाया जाता है कि कोई एक स्तर क्रियाशील नहीं है तो उससे ऊपर के स्तर द्वारा इस नियमावली के अधीन नीचे के स्तर को न्यस्त दायित्व स्वयं तत्परता से ग्रहण कर लिया जाएगा।

(2) इस नियमावली के अधीन पारित सभी आदेश तथा ऐसे मामलों का जिनमें सहायता प्रदान की गयी हो, प्रकाशन संबंधित जिला के द्वारा उसके बेवसाईट (Website) पर, पूर्ण ब्योरे के साथ किया जायेगा।

9. विवेचना तथा कठिनाईयों का समाधान : यदि इस नियमावली के निर्वचन में अथवा इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आपदा प्रबंधन विभाग उसका निर्वचन करने के लिए सक्षम होगा तथा उसके क्रियान्वयन के लिए अनुदेश जारी करेगा। ऐसे सभी विषयों में उस विभाग का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(व्यास जी)
प्रधान सचिव
आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक 2388 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 25/7/11

प्रतिलिपि– उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को (साफ्ट कॉपी सहित) प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विभाग गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियाँ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।

25/7

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2388 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 25/7/11

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/7

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2388 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 25/7/11

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/7

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2388 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 25/7/11

प्रतिलिपि– सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/7

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2388 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 25/7/11

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/7

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2388 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 25/7/11

प्रतिलिपि– माननीया मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/7

प्रधान सचिव